

छात्रवृत्तियार्ग

1. छात्रवृत्तियार्ग

2. छात्रवृत्तियार्ग

3. नो-को वेब अपलोड

4. प्राप्ति

स्पीड-पोर्ट

C

8.8.16

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल.
क्रमांक 1090 / 246 / आउशि / छा. / 2016,

भोपाल, दिनांक

09.09.2016 8.8.16

प्रति,

1. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश.
2. प्राचार्य,
समस्त गैर अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश.
3. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश.

विषय—पोर्ट गेट्रिक छात्रवृत्ति की योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता एवं शुल्क) की प्रतिपूर्ति।

संदर्भ—अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 23-27/2014/25-5, भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016.

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 23-27/2014/25-5, भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

अब: अनुरोध है कि विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

लग्न—उपरोक्तानुसार,
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

A. D. M.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृ. क्र. क्रमांक 109 / 246 / आउशि / छा. / 2016,

भोपाल, दिनांक 09.09.2016

प्रतिलिपि—

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक एफ 23-27/2014/25-5, भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, उच्च शिक्षा सचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

A. D. M.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 23-27 / 2014 / 25-5
प्रति,

भाषातः विनाक | १० आगस्ट, २०१६

आयुक्त,
अनुसूचित जाति विकास,
मध्यपदेश

विषय-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता एवं शल्क) की प्रतिपुर्ति।

संदर्भः—आदैम जाति एव अनुसूचित जाति कल्याण मिल इति प्र

2. आदिम जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र.एफ-12-15/2013/25/2/1761 दिनांक 02.12.2014

3. आदिम जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र.एफ-12-15/2013/2572 दिनांक 10.08.2015

पोर्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनातांत्रिक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता एवं शुल्क) को प्रतिपूर्ति के संबंध में समय समय पर जारी रामरत आदेश अधिकमित करते हुए धर्मान्वय ने प्रचलित कन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के गियम निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी लग्नहों (Group-I,II,III, IV) के विविध प्रादूर्यकर्मों के लिए 2.50 लाख तक की आय सेवा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पूर्ण निर्धारित भत्ता एवं शासकीय संस्थाओं में (शासकीय विश्व विद्यालय सहित) निर्धारित शिक्षण शुल्क अर्पणा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा। सभी एक के पादूर्यकर्मों में छत्रवाली विद्यार्थी को 1200/- के स्थान पर 1500/- लगातार भासिक निर्धारित भत्ता स्वीकृत किया जायेगा।

(संदर्भ-ग्राहक सम्मेलन की शिखावाली तांडिया-पुराण मध्य शासन आदित अधिकारी द्वारा अनुरुद्धित ज्ञानि कल्याण विभाग का आदेश द्वारा, दिनांक 12-०५/२००७/४/२५ दिनांक २५-०५-२००७)

2. 2-50 लाख तक की आवश्यक धारे परिवार के विवाहितों वा दिस्त्र इनमें से लगभग
मैं अध्ययनरत रहने पर निर्दद्व भत्ता एवं शासकीय लखणाओं में उल्लिख पाठ्यक्रमों के

समतुल्य शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

(संदर्भ—म.प्र.शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति, कल्याण का पत्र क. एफ 12-64/98/ 25/2, दिनांक 5.6.1999)

3. 2.50 लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए कोई निर्वाह भत्ता देय नहीं है। शासकीय संस्थाओं/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत रहने पर शासकीय संस्थाओं में सबधित पाठ्यकाग में निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का आधी $1/2$ राशि का भुगतान किया जायेगा।
(संदर्भ—म.प्र.शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण का पत्र क. एफ 12-113/2007/ 4/पच्चीस, दिनांक 13 अक्टूबर 2008)

अशासकीय विश्वविद्यालयों द्वारा सचालित रखय के संस्थानों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रवेश होने पर 2.50 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पूर्ण निर्वाह भत्ता एवं शासकीय संस्थाओं द्वारा संघर्षित पाठ्यकाग में निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा। 2.50 लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए केवल Non refundable अनिवार्य शुल्क का आधी $1/2$ राशि का भुगतान किया जायेगा। अशासकीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अध्ययन केन्द्र इसमें सम्बलित नहीं होगे।

(संदर्भ— एफ 12-29/2008/2575 दिनांक 03.08.2013)

4. ४ जन्मदिनमो (दीई, बीफार्मा, एमपीजाएस, डमबीलीएस, बीडीएस, धीरसीमी एसीए, व्हायर पोलीटेक्निक) के लिए 3.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों के लिए फीस नियामक समिति द्वारा उस पाठ्यकाग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था के लिए निर्धारित न्यूनतम Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा। इस श्रेणी में 2.50 लाख तक आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों को जमूह का निर्धारित निर्वाह भत्ता भुगतान किया जायेगा। परन्तु 2.50 से 3.00 लाख तक की

आपराधिक वाले परिवारों के विद्यार्थियों के लिए कोई नियम है भला नहीं दिखा जाएगा। उल्लेखित 8 पाठ्यकार्यों के लिए इस राशि का गुणातान के बगल केन्द्रीयकृत वार्तानियन्त्रित के गांधीज रस्ते से संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए गान्धी है। जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज रस्ते की वार्तानियन्त्रित से प्रवेश लिया है उन्हें इन पाठ्यकार्यों में प्रवेश लेने पर शासकीय संस्थाओं के बावजूद ही शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(संदर्भ—ग.प्र.शासन अनुसूचित जाति कल्याण का पत्र क्र.एफ 23-5/2013/25-5, दिनांक 11.9.2013
म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र.एफ-12-15/2013/25-2/ 2041 दिनांक 11.
9.2013)

5. राज्य के शासकीय भावितालय/शासकीय स्वशासी भावितालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्वित्तीय पाठ्यकार्यों में प्रवेशित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 29 जुलाई 2003 के आदेशानुसार निर्धारित अनिवार्य शुल्कों की पूर्ण प्रतिपूर्ति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत की जाए। यह आदेश संक्षणिक चक्र 2016-17 से प्रभावशील होगा। अशासकीय महाविद्यालयों/अशासकीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यह आदेश लागू नहीं होगा तथा इनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पूर्ववत शासकीय संस्थाओं के वैसिक पाठ्यकार्य में ली जा रही शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
6. IIM / IITS/ NIFT में प्रवेशित विद्यार्थियों को निर्धारित अनिवार्य शुल्क के अलावा मैस व्यय और कम्प्यूटर, लेपटाप व्यय, होरस्टल किराया, पुस्तक एवं पाठ्य समग्री शुल्क, छात्र कल्याण निधि शुल्क, मेडीकलेम फी की राशि भी रखीकृत की जा सकेगी।
(संदर्भ—ग.प्र.शासन आदिग जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र.
एफ-12-41/2007/ धार/ पत्तीरा दिनांक 22.12.2009)
7. अशासकीय संस्थाओं में संचालित ऐसे पाठ्यकार्य जो किसी भी शासकीय संस्थाओं में संचालित नहीं हैं उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को निर्धारित नियम है भला एवं संबोधित समूह के वैसिक पाठ्यकार्य में शारकीय सम्बोधन के लिए उपर्युक्त सुनहरा अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

8. भारत सरकार की ओरीषाओं छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के विद्यार्थी जो प्रदेश के बाहर थंडे केन्द्र सरकार या राज्य शासन की शासकीय सरथाओं में अध्ययनरत हैं तो

केन्द्र सरकार राष्ट्र संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति तथा समूह के पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित निर्वाह भत्ता का गुगतान आयर्सीमा के आधार पर किया जायेगा।

9. प्रदेश के बाहर मान्यता प्राप्त अशासकीय सरथाओं, अशासकीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने पर संबंधित पाठ्यक्रमों में निर्धारित निर्वाह भत्ता के अलावा मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय सरथाओं में ली जा रही अनिवार्य शुल्क के समतुल्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

10. विद्यार्थियों द्वारा प्रचलित पाठ्यक्रम की अवधि के मध्य पाठ्यक्रम/सरथा के परिवर्तन के संबंध में निनानुसार कार्यदाही की जावे।

(संदर्भ—मप्रशासन अनुसूचित जल्मी जल्मी के परिषद क्र.एन 23-25/2014/2575, दिनांक 28.01.16 एवं मप्रशासन अनुसूचित जल्मी व त्रिलोक दिनांक का पु.क्र.437/एफ 12-8/2013/25-2 दिनांक 22.3.16)

- (i) यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम परिवर्तित कर सचित्र पाठ्यक्रम न (योजना में निर्धारित समूह के अनुसार) आवासी दर्द देश लेता है तो पूर्ण दर ने खीकूरा/वितरित छात्रवृत्ति वसूल नहीं की जावेगी, परंतु उसी दर ने पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जो नवीन प्रैक्ट के दिनांक से याद की पूर्ण पाठ्यक्रम की खीकूरी राशि, निनानुसार इस शुल्क के यो राशि जिसका गुगतान सरथा को नहीं किया गया है, उसका भी जगत कर प्रवेश हो सकेगा। नवीन प्रैक्ट के समय चालान दरतावेज के समान भ्रम्भुत वरदान हथा नये पाठ्यक्रम और सचित्र दीर्घी वर्ष या आगामी वर्ष छात्रवृत्ति या एक जावेदन प्राप्त होने पर उत्तम भ्रम्भुत/वितरित की जा सकेगी। अन्य समूहों के पाठ्यक्रमों/सरथा में विविधता तथा प्रदेश लोग पूर्ण पाठ्यक्रम की प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि चालान से कम होने पर उत्तम भ्रम्भुत छीकूरा की जा सकेगी।

- (ii) यदि विद्यार्थी समूह (i) ने आपस में पाठ्यक्रमों/सरथा में परिवर्तन कर आगामी वर्ष में प्रवेश लेता है तो पूर्व वर्ष में रवीकृत/वितरित छात्रवृत्ति कमूल नहीं की जायेगी। परंतु उसी वर्ष में नये समूह के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो नवान प्रवेश के दिनाक से वाद की पूर्द पाठ्यक्रम की रवीकृत राशि निर्धारित भूतों एवं शुल्क की राशि जिसका भुगतान सरथा को नहीं किया गया है चालान से जमा कर प्रवेश ले सकेगा। नये पाठ्यक्रम और सरथा को उसी वर्ष या अगामी वर्ष छात्रवृत्ति का पुनः आवेदन प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति रवीकृत/वितरित को ज्ञासकेगी।
- (iii) अनुत्तीर्ण होने पर पाठ्यक्रम परिवर्तन की सुविधा नहीं रहेगी, अधात पूर्व में प्राप्त छात्रवृत्ति कोषालय में जमा करने के उपरात ही नवान पाठ्यक्रम सरथा से आवेदन कर सकेंगे।
- (iv) नवीन पाठ्यक्रम/सरथा में प्रवेश का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पूर्व में यदि छात्रवृत्ति रवीकृत हुई है और वितरित नहीं हुई है तो उसकी रवीकृति तत्काल निरस्त की जायेगी। ऐसी रवीकृति निरस्त होने पर नए पाठ्यक्रम/सरथा की छात्रवृत्ति रवीकृत की जा सकेगी।
- (v) यह सुविधा विद्यार्थी को अध्ययन के दौरान फेवल एवं दार ही देख होगी दूसरी बार पाठ्यक्रम/सरथा परिवर्तन करने पर पूर्व रवीकृत छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर राशि कोषालय में जमा करने पर प्रवेश भान्य किया जा सकेगा। नवीन आवेदन के साथ चालान की प्रति प्रस्तुत करेगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल वा नाम से
तथा अदिशानुसार

(सचिव राज्य)
आदर सचिव
नियमालान
अनुसूचित उपायकाल विभाग

पूर्वोत्तराम एफ 23-27 / 2014 / 26-5
प्रतिलिपि ...

गोपाल, दिन/महीना/वर्ष, 2016

- प्रगुण सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश गोपाल।

प्रगुण सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, विकास निलम्बनीयीकी विभाग, अपापुरुष दिनांक:

समरत क्लैबर्ट्स, मध्यप्रदेश।

सभरत संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।

समरत सहायक आयुक्त/जिला रायोजक, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास,

वरिष्ठ सूचना अधिकारी, एन आई सी, विन्ध्याचल भवन, गोपाल
को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु अप्रेषित।

3559 ~~16~~

16 AUG 2016
CME

CHE

11/11/2014

8

अद्वर सचिव
मोप्र०शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मन्त्रालय, भोपाल

23 AUG 2016

~~8/18~~
8/420
7-418